



पत्रांक 1178 / 35व्यक-सा0/18

दिनांक 08/06/2018

**:कार्यालय ज्ञाप:**

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री विश्वमोहन गिरी प्रभारी सहायक अभियन्ता	सिं0ख0 पी0एम0जी0एस0वाई0 अल्मोड़ा	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	17 (1) (क)

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

(आर0सी0 पुरोहित)  
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता (मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/रा0मा0 कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0/रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, .....
- अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0, अल्मोड़ा।
- अधिशाली अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।
- श्री विश्वमोहन गिरी, प्रभारी सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0, अल्मोड़ा।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता  
05/06/18





पत्रांक 1177 / 35व्यक-सा0/18

दिनांक 08/06/2018

**:कार्यालय ज्ञाप:**

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार जैन प्रभारी सहायक अभियन्ता	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, कोटद्वार	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी	17 (1) (क)

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

(आर0सी0 पुरोहित)  
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता (मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी/देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 12वां/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी/श्रीनगर।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, .....
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय/पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी/कोटद्वार।
- श्री मनोज कुमार जैन, प्रभारी सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, कोटद्वार।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

7/6  
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता  
[Signature]





पत्रांक 1176 / 35व्यक-सा0 / 18

दिनांक 08/06/2018

**कार्यालय ज्ञापः**

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश सिंह मेहरा प्रभारी सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर	ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	17 (1) (क)

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(आर0सी0 पुरोहित)  
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता (मु0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/ए0डी0बी0 कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ/ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, ऊधमसिंहनगर/टिहरी।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, .....
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय/ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर/उत्तरकाशी।
- श्री रमेश सिंह मेहरा, प्रभारी सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रपुर।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता  
11/6/18

